शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 6/जी.आई.462/521-13-01(103)/13

प्रेषक,

कृष्ण मोहन त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013

विषय -12वीं पंचवर्षीय योजना में मल्टी सेक्टोरल योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार में दिनांक 12 व 13 सितम्बर, 2013 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 73वीं बैठक में जनपद गौतमबुद्ध नगर के लिए स्वीकृत 09 आंगनवाड़ी केन्द्रों की प्रथम किश्त के केन्द्रांश (50 प्रतिशत) की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में 09 आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल अनुमोदित लागत रू0 40.50 लाख से कार्य करने हेतु **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** को कार्यदायी संस्था नामित करने तथा प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या'3/19(26)/2012-पी0पी0-I, दिनांक 27.09.2013 से प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 20,25,000/- (रू0 बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट रूपये 4000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू0 2356.83 लाख में से अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	यूनिट सं0	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		अवमुक्त कुल धनराशि (के0/रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गौतमबुद्ध नगर	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	09	4.50	40.50	0.00	40.50	20.25	0.00	20.25
						योग	**40.50**	**20.25**	**0.00**	**20.25**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यदायी संस्था **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ (C&DS)** के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से 03 माह में पूरा किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है, तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। आंगनवाडी केन्द्रों का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल में गुणवत्तापूर्ण निर्माण किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम ऑ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय।

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा। निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/52-1-09-1(1)/09, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं संसुगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण प्रचलित कुर्सी क्षेत्रफल 47.20 वर्ग मीटर के मानकीकरण के अनुसार किया जायेगा। अर्थात् केन्द्रों की डिजाइन वही होगी जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों के

http://shasanadesh.up.nic.in

भवन की छत स्लांटिंग रखने के स्थान पर समतल रखी जाय, ताकि भविष्य में आवश्यकतानुसार 01 अतिरिक्त तल का निर्माण किया जा सके।

8- जिलाधिकारी, द्वारा समय-2 निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की गुणवत्ता की जॉच करायी जायेगी, ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हों। अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स एवं ग्रामों/स्थलों की सूची की दो-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख दो-02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

10- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

11- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक लेख अनुदान ग्राही (Grantee) द्वारा मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया जाता है तो निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उसकी वसूली कर राजकोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

12- उक्त निर्माण हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता व निर्माण कार्य उपयुक्त स्थान पर ही हो रहा है, के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धि अधिकारी आश्वस्त हो लेंगे।

13- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -48 के लेखा शीर्षक"4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय -01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना (केन्द्रांश 100/रा0-के0)-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1479/दस-2013, दिनांक 02.12.2013 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)

http://shasanadesh.up.nic.in

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या जी.आई.462 (1)/बावन-1-2013तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- श्री वाई0पी0 सिंह, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

5- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त जनपद में निर्माण हेतु प्रस्तावित आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करने के साथ ही प्रश्नगत केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

6- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, गौतमबुद्धनगर प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

8- निदेशक, **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** (C&DS) को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थलों की सूची प्राप्त कर समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का कष्ट करें।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

11- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवगतार्थ।

12- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 को 03 स्वच्छ प्रति सहित/वित्त-ई-11।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in